'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.07.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 16 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 जुलाई, 2016

रेलवे एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों का सम्मेलन संपन्न

रेलमंत्री, श्री सुरेश प्रभु को सौंपा गया ज्ञापन

14 जुलाई को रेलवे एस.सी./एस.टी कर्मचारियों का विशाल सम्मेलन मावलंकर हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग नई दिल्ली पर आयोजित किया गया। सम्मेलन के उपरांत एक मांग-पत्र रेलमंत्री, श्री सुरेश प्रभु को सौंपा गया, जिसमें निम्नलिखित मांगें की गयी -

(1) अनुसूचित जाति/जन जाति कर्मचारियों के खाली पड़े पदों (बैकलाग) को तुरंत प्रभाव से विशेष भर्ती अभियान के तहत भरा जाए।

(2) सभी रेलवे एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट व रोस्टर प्रणाली को डी.ओ.पी.टी. के नियमानुसार लागू करवाया जाए।

(3) रेलवे की सभी कैडरों जैसे गार्ड, लोकोपॉयलट, इलेक्ट्रिकल स्टॉफ, डीजल शैड स्टॉफ, गैंगमैन, सी एंड डब्ल्यू स्टॉफ, क्लर्क व इंजीनियर स्टॉफ, आफीसर्स स्टॉफ, सफाई कर्मचारी एवं चपरासी सभी का प्रमोशन संबंधी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए।

(4) एम.टी.एस. कर्मचारियों की ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए जैसे- सफाई कर्मचारी व अन्य पदों के कर्मचारियों की।

(5) वर्तमान में एस.सी./एस.टी. एसोएिशन में बैठे सी.ई.सी. के पदाधिकारी जो लगातार कई वर्षों से एक ही सीट पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उनको एसोसिएशन से बाहर निकाला जाए। ये वे लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं तथा भ्रष्टाचार में लिप्त भी रहे हैं एवं नए सिरे से चुनाव कराए जाएं और नए ईमानदार कर्मचारियों को कार्य करने का मौका दिया जाए।

(6) वर्तमान में लोको पॉयलट 2008 बैच जिसका 530 का पैनल बनाया था, उसमें एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इस पैनल में एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों को रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत प्रमोट किया जाए।

(7) पूरे भारत में एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया जाए।

(8) एस.सी./एस.टी. रेल कर्मचारियों की तैनाती एवं स्थानांतरण रेलवे बोर्ड द्वारा बनायी गयी नीति का पालन करते हुए उनके पैतृक स्थानों पर की जाए।

मांग-पत्र पर सर्व श्री धूप सिंह मीना, रमेश जी, जय लाल, कृष्णा कुमारी, पृथ्वी राज, रामनंदन राम, सिद्धार्थ कांबले, भूपेन्द सिंह, चेनप्पा, मुकेश मीना ने हस्ताक्षर किए।

परिसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन 30-31 जुलाई को मावलंकर हाल, दिल्ली में होगा

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 30 एवं 31 जुलाई, 2016 को मावलंकर हॉल, कंस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110 001 पर डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 30 जुलाई को प्रातः 10 बजे शुरू होगा और 31 जुलाई को सायं 5 बजे इसका समापन होगा। वर्तमान समय में पूरे देश में पदोन्नति में आरक्षण का संकट शुरू हो गया है। उ0 प्र0 सहित देश के विभिन्न राज्यों कर्मचारियों की पदावनति हुई है। इस सम्मेलन में पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित अजा/जजा वर्ग के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा एवं अधिकारों की प्राप्ति हेतु भावी रणनीति तय की जाएगी।

साथियों, वर्तमान समय में सोसल मीडिया की उपयोगिता बहुत बढ़ गयी है। आरक्षण के विरूद्ध पूरे देश में नकारात्मक माहौल सोसल मीडिया के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इससे लड़ने और अपनी सांगठिक क्षमता बढ़ाने हेतु हमें सोसल मीडिया, जैसे- फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्विटर, ईमेल, एस.एम.एस. आदि के जरिए सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। कई आंदोलन सोसल मीडिया के माध्यम से ही सफल हो गए हैं। आप सभी को पता ही है कि जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, वहां हमारी कोई भागीदारी नहीं है। यदि हम इतना भी नहीं कर सके तो वह दिन दूर नहीं जब हमें मिले हुए सारे अधिकार छिन जाएंगें और हम हजारों साल पहली की स्थिति में पहुंच जाएंगें। एक स्टडी के अनुसार 2014 में भारत के लोकसभा चुनाव में लगभग 150 सीटों पर सोशल मीडिया ने जीत में अपनी भूमिका निभाई थी, वहीं दिल्ली राज्य के बहुचर्चित चुनाव में अरविन्द केजरीवाल द्वारा नवगठित पार्टी ने अपना 80 फीसदी कैम्पेन सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया और परिणाम पूरी दुनिया ने देखा। इसके अतिरिक्त मिश्र जैसे देश में बड़े आंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही।

उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए ही इस सम्मेलन में भाग लेने वालों के लिए नीचे लिखी कुछ शर्तें निर्धारित की गयी है। कृपया वही लोग सम्मेलन में भाग लें जो इन शर्तों को पूरा करते हों और परिसंघ के उद्देश्यों व नीतियों से सहमत हैं।

1. इस सम्मलेन में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है, जो परिसंघ के वार्षिक या आजीवन सदस्य हैं। सदस्यता फीस 100 रुपए वार्षिक एवं 1000 रुपए आजीवन है। परिसंघ के नेताओं से आग्रह है कि लोगों को सदस्य बनाकर ही सम्मेलन में लाएं। जो लोग अभी तक सदस्य नहीं बने हैं, वे परिसंघ के नेताओं से सम्पर्क करके सदस्यता ले लें। सम्मेलन शुरू होने से पूर्व वहां पर भी सदस्य बन सकेगें या राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित कुमार से सम्पर्क करके सदस्यता की रसीदें प्राप्त करें।

2. इस सम्मलेन में भाग लेने वाले सभी लोग अनिवार्य रूप से स्मार्ट फोन (एंड्राइड, विंडोज या अन्य आधुकिनक तकनीक से युक्त) लेकर आएं, जिसमें अनिवार्य रूप से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि सम्मेलन में ही सोसल मीडिया के सही प्रयोग को समझा जा सके। जिन लोगों को सोसल मीडिया का ज्ञान नहीं हैं, वे सीखकर आएं तो अच्छा रहेगा।

3. खान-पान व हॉल की बुकिंग आदि की दृष्टि से इस सम्मलेन हेतु प्रवेश शुल्क 500 रुपए प्रति व्यक्ति तय किया गया है।

परिसंघ का फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्वीटर, ईमेल नीचे दिया जा रहा है। सम्मेलन में भाग लेने की अग्रिम सूचना ईमेल या व्हाट्स पर दे दे तो अच्छा रहेगा।

यदि परिसंघ के नेता लोक सभा में कोई मुद्दा उठवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप या ईमेल द्वारा भेज दें।

1. **Facebook :- www.facebook.com/parisang.all.india.uditraj**
2. **Whatsapp : 9717-046-047**
3. **Twitter :- @Parisangh1997**
4. **E-mail :- Parisangh1997@gmail.com**

राष्ट्रीय कार्यालय में परिसंघ के कार्य हेतु सुमित कुमार (मो. 9868978306, 011-23354841/42) को फुलटाइम रखा गया है। सदस्यता सहित परिसंघ से संबंधित मामलों में इनसे सम्पर्क करें।

-: निवेदक :-

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

फोन : 011-23354841, 011-23354842

असंतुलित होता राज्य का अंग

जस्टिस खरे ने सच बयाँ किया कि जिनके पास पैसा न हो, न्यायपालिका की तरफ देखना भी गुनाह है। इस वाक्य से बात समझ में आ जाती है कि हमारी न्यायपालिका क्या है? जनसाधारण की सोच है कि राज्य के तीन अंग– विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से न्यायपालिका का कार्य ज्यादा अच्छा है। यह धारणा इसलिए बनी हुई है कि न्यायपालिका के कार्य पर चर्चा नहीं होती है। कुछ लोग अगर कोशिश करते हैं तो अवमानना की आड़ में उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। संविधान के द्वारा न्यायपालिका को दिया गया संरक्षण एवं अधिकार सुरक्षित रखने के पक्ष में कौन नहीं है, लेकिन उस पक्ष पर भी चर्चा नहीं हो पाती है जो न तो संरक्षण एवं अधिकार के तहत आता है और न ही अवमानना होती है। आम आदमी न्याय पाने के लिए कराह रहा है लेकिन दूर–दूर तक आशा की किरण नज़र नहीं आती कि उसके अच्छे दिन कब आयेंगे? उच्च न्यायपालिका में जनसाधारण तो क्या मध्यम वर्ग भी न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने नेशनल ज्यूडिशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन बनाया लेकिन उच्च न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। चूँकि विधायिका सीधे जनता की जवाबदेह है, इसलिए उसे आम जनता के दुःख–दर्द का एहसास है। कुछ एक को छोड़ कर जनप्रतिनिधि वैसे भी सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। ये वही कुछेक लोग हैं जिनके कृत्यों से जनता नाराज़ है और इसका फायदा न्यायपालिका उठा रही है। हमारे लोग भी विकसित देशों जैसे जाग्रत होते तो न्यायपालिका के खिलाफ उठ खड़े होते। हम क्यों नहीं सोचते कि लाखों की फीस देकर ही उच्च न्यायपालिका में मुकदमा लड़ पाते हैं? उच्च न्यायपालिका सत्ता का उपभोग कर चुकी है इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहती है। क्या ये जज ईश्वर हो गए है कि इनके काम की चर्चा नही हो सकती? कम से कम भारत में तो ऐसा हो ही गया है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्य न्यायधीश ने जजों कि कमी की बात भावुक होकर रखी लेकिन न्यायिक ढांचे में गड़बड़ी के बारे में जिक्र नहीं किया।

हाल में इलाहबाद हाईकोर्ट ने जज बनाने के लिए सरकार को नाम भेजे हैं, जिनकी संख्या 44 है जिसमे सवर्णों कि भरमार है। 44 में से 30 वकील हैं। 7 सेवानिवृत्त या वर्तमान जजों के रिश्तेदार हैं। न्यायपालिका मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर भी मानने को तैयार नहीं है। महा अभियोग का हथियार कुंद हो चुका है क्योंकि चाहे जितना देशहित का मुद्दा हो उस पर भी राजनैतिक दल एक नहीं हो पा रहे हैं। नेशनल ज्यूडिशियल एप्वाइंटमेंट कमीशन के द्वारा जजों के कृत्यों का निर्धारण करने की कोशिश की गयी। सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर के तहत जजों की नियुक्ति के मापदंड तय किये हैं, जैसे कार्यपालिका का अधिकार कि वह सुझाये गए नाम को वापस कर सके यदि वह देशहित में न हो और दो सेवानिवृत्त जज जो कोलोजियम के साथ जुड़कर जजों कि योग्यता आदि पर मत दें।

गत छः सालो में एक भी अनुसूचित जाति का जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनाया गया है। दस सालों में केवल तीन महिला जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए संस्तुत किये गए। भारत सरकार के कानून मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से कोलोजियम ने नियमो का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम ने तीन जज– एल. के. महापात्रा (मणिपुर हाईकोर्ट), डी .एच. बघेला (मुंबई हाई कोर्ट), मंजुला छैलुर (कलकत्ता हाई कोर्ट) का वरिष्ठता की पात्रता को नजरअंदाज़ करके जूनियर को जज बना दिया गया है। कोलोजियम के कोई स्पष्ट नियम निर्धारित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 ऐसे हाई कोर्ट है जिनका प्रनिधित्व नहीं है। इलाहबाद हाई कोर्ट के 160 जजों कि पोस्ट में से केवल दो ही जज सुप्रीम कोर्ट में हैं, जबकि मुंबई हाई कोर्ट के 94 पद के मुकाबले में 5 सुप्रीम कोर्ट में हैं। यही स्थिति अन्य कई हाई कोर्ट के साथ भी है।

जजों की कमी का बहाना बनाकर यह कहना कि उससे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है वह भी तर्क संगत नही है। चीफ जस्टिस ने 70 हजार और जजों की मांग की है। वर्तमान में लगभग 3 करोड़ मुक़दमे लंबित हैं। कानून मंत्रालय ने 2005 और 2015 के बीच के आंकड़ों को लेकर एक अध्ययन कराया है और पाया कि जजों कि कमी से ही केवल मुक़दमे लंबित नही हैं। तमिलनाडु में प्रत्येक 10 लाख पर 14 जज और पंजाब में 24 जज हैं और यहाँ सबसे कम मुक़दमे लंबित हैं, जबकि दिल्ली में प्रति दस लाख पर 47 जज और गुजरात में 32 जज लेकिन वहां पर लंबित मुकदमों का ढेर लगा हुआ है। केरल और त्रिपुरा में प्रत्येक जज ने एक वर्ष में 3 हज़ार और 28 सौ मुकदमों का निस्तारण किया है जबकि झारखण्ड और बिहार में 255 और 274 मुकदमों का निस्तारण किया है।

माननीयों के ही व्यवहार से फेस वैल्यू वाले वकील पैदा हो गये है, जिनकी फीस लाखों में ही नहीं बल्कि करोडो में है। दूसरे वकील चाहे जितना अच्छा जिरह करे तो जरुरी नही है कि उनको तवज्जो दिया जाये। कई बार तो ऐसों को डांट भी पड जाती है। दुनिया में हमारा ही ऐसा देश है जहाँ पर जज ही जज को बनाते हैं, तो फिर क्यों अनेक समस्याएं पैदा हो गयी हैं। क्या जज ईश्वर हैं कि वो गलती नहीं कर सकते? जब भी उनके कृत्य के निर्धारण पर सरकार कुछ करती है तो हस्तक्षेप का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। क्या जो जिस जाति, धर्म, परिवार और परिवेश में पढ़ा और पला हो उस सोच और संस्कार से बिलकुल मुक्त हो सकता है? ऐसे में यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं महिला का प्रतिनिधित्व न हो तो इनसे सम्बंधित समस्याओं पर न्याय क्या त्रुटि रहित हो सकता है। अमेरिका के प्रसिद्ध न्यायाधीश ने कहा है कि जज पूरी तरह से अपने संस्कारों को अलग करके नहीं सोच सकता। योग्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता के अतिरिक्त विभिन्न संस्कारों और सोच का भी प्रतिनिधित्व जरुरी है। शायद ही ऐसा कोई माननीय होगा जिसके भाई, भतीजे, दोस्त जज, सरकारी वकील, लॉ ऑफीसर आदि न हों। सरकार यदि आईबी के द्वारा जजों कि नियुक्ति कि जांच कराती है तो उसमें भी आपत्ति हो रही है। अहमदाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने यहाँ तक कह दिया कि भ्रष्टाचार और आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। दलितों और पिछड़ों की आबादी लगभग 85 प्रतिशत है और इन्हें आरक्षण मिल रहा है तो क्या इतनी बड़ी जनसँख्या देश को बर्बाद कर रही है? राज्य के अन्य दो अंग– कार्यपालिका और विधायिका कि तुलना में न्यायपालिका में ज्यादा सुधार की आवश्यकता है।

– डॉ. उदित राज

आरक्षण पर ही नहीं बल्कि जान-माल पर भी हमला बढ़ा है

गिर सोमनाथ जिला (गुजरात) के एक गांव में मृत गाय की खाल निकालने पर छः दलितों की निर्मम पिटाई की गयी। ये दलित ऊना के समादियारा गांव के रहने वाले हैं। तथाकथित सवर्णों ने लोहे की रॉड तथा लाठियों से निर्ममता से पीटा। इस तरह की घटनाएं पूरे देश में बढ़ी हैं। जब कोई चीज बार–बार घटे या बढ़े तो वह विचारणीय होता है। ऐसी घटनाएं इसलिए भी बढ़ रही हैं कि जिस प्रबुद्ध वर्ग अर्थात् दलित–कर्मचारी अधिकारी एवं अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी समाज की रक्षा करने की है, वे निजी जिंदगी की सुविधाओं के लिए जी रहे हैं। झांसी में मंदिर में प्रवेश वर्जित की घटना भी अभी घटी है। सोचने की जरूरत है कि क्या दोषी ही इसके जिम्मेदार हैं? शोषक का स्वभाव ही होता है शोषण करना। दलित एवं पिछड़े बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद क्यों उनका शोषण बढ़ता जा रहा है? गत् कुछ सालों से दलित समाज के प्रबुद्ध वर्ग विशेष रूप से कर्मचारी–अधिकारी निष्क्रिय हुए हैं, जिसकी वजह से अपराध बढ़ने लगे हैं। आगामी 30 व 31 जुलाई को मावलंकर हाल में दो दिवसीय चिंतन शिविर में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि जो शारीरिक हमले हो रहे हैं, उसको किस तरह से रोका जाए। निजीकरण और ठेकेदारी शोषण का एक स्थाई रास्ता तो बन ही गया है, जिस पर रोक नहीं लग पा रही है। इन अत्याचारों को रोकना कोई असंभव बात नहीं है, बशर्ते दलित, आदिवासी का प्रबुद्ध समाज थोड़ा सा अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर संघर्ष करे और समाज को जगाए। लोग सोचते हैं कि वे अपने व्यस्त समय से नहीं निकल पा रहे हैं और साधन भी नहीं दे सकते और उम्मीद करते हैं कि चलो और कोई तो मैदान में इस कार्य को कर ही रहा है। जब इनसान ने जन्म लिया है तो कुछ न कुछ व्यस्तताएं और समस्याएं सभी की होती ही हैं और यह कभी खत्म होने वाली नहीं हैं। इसी में से समय और संसाधन निकालकर समाज को संगठित करना होगा।

– डॉ0 उदित राज

परिसंघ की सदस्यता का विवरण भेजें

बार–बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की जो सदस्यता की रसीदें जारी की गयी थी, वापिस नहीं आ सकी हैं। परिसंघ के प्रदेश, जिला, ब्लाक इकाइयों के पदाधिकारियों व शुभचिंतकों, जिनके पास सदस्यता की रसीदें हैं, वे नाम, मोबाइल नं., जिला एवं प्रदेश लिखकर नीचे लिखे प्रारूप में अतिशीघ्र parisangh1997@gmail.com **पर ईमेल करें।**

सदस्य का नाम	मोबाइल नं.	जिला	प्रदेश

– डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारत में किनके लिए आया थर्ड डिवीजन

डॉ. रतनलाल

इस देश में जब-जब आरक्षण, हिस्सेदारी या वंचित जमात के समुचित प्रतिनिधित्व की बात आती है, तब-तब 'मेरिट' का हुडदंग खड़ा हो जाता है। इस विषय पर लगातार विद्वानों ने लिखा है, मीडिया में यह डिबेट का मुद्दा भी बना। लेकिन भारत में तथाकथित 'मेरिटवादी' इस मुद्दे को तर्क और इतिहास से ज्यादा आस्था से देखते हैं। 'आस्था' अर्थात् बुद्धि ताक पर रखकर बात करना। आइए जरा 'मेरिट' की अवधारणा को देखें।

विज्ञान कहता है सबका ब्रेन एक समान होता है। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि, तेज़तर्रार माने जाते हैं ? भारत में तो कुछ लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार से भी जोड़ते हैं। खैर, ऐसे ईश्वरीय चमत्कार वाले लोगों का क्या कहना ! एक ऐसा पक्ष है जो मानता है कि भारतीय समाज की बुनियाद ही 'आरक्षण' पर टिकी हुई है और उसकी जड़ें वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति के मिथक से जुडी हुई है। इसी अवधारणा का थोड़ा सरलीकरण करें। काबिलियत न तो जन्मजात होती है और न ईश्वर निर्मित. किसी व्यक्ति की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वह सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक संसाधनों के कितना दूर है या कितना पास है – Merit is socially, economically, culturally, politically constructed or deconstructed.

इसी के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है। भाषा का प्रश्न- कई बार तो भाषा पर नियंत्रण कई अन्य संसाधनों पर नियंत्रण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उदहारण के तौर पर देखिए, प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा काबिल और मेरिट वाले कौन थे ? वे लोग, जिन्हें संस्कृत, पाली, प्राकृत या उस समय चल रहे अन्य भाषाओं का ज्ञान था। आपने निर्धन और 'ज्ञानी' ब्राह्मण की कहानियां तो स्कूल की किताबों में पढ़ी ही होंगी। कोई भी व्यक्ति तब तक राजा नहीं बन सकता था, जब तक किसी ब्राह्मण द्वारा उचित मंत्रोचार द्वारा उसका राज्याभिषेक न कर दिया जाए। अर्थात् गैर-धार्मिक प्रक्षेत्र (secular domain), राज्य क्षत्रिय के नियंत्रण में, लेकिन उसकी स्वीकृति ब्राह्मण के मंत्रोचार और यज्ञ के द्वारा। और इस वैचारिक नियंत्रण का आधार था – भाषा पर नियंत्रण। इसी भाषाई वर्चस्व के खेल के कारण शूद्रों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया। आज भी बहुत सारे अन्धविश्वासी मंत्री, नेता, जज, अधिकारी इत्यादि मिल जायेंगे जो इस तरह के यज्ञ का आयोजन करते हैं और इसमें दलित-पिछड़े भी कम नहीं हैं।

इसी तरह सल्तनत काल से लेकर 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक कौन लोग ज्ञानी और काबिल समझे जाते थे? वैसे लोग और संस्थाएं, जिनका फारसी, अरबी, और उर्दू पर नियंत्रण था। भाषा राज-काज की भी होती है, जिसमें रोजगार के साधन बढ़ जाते हैं। फारसी और उर्दू राज-काज की भाषा भी थी, इसलिए इसे जानने वालों को आसानी से नौकरी मिल जाती थी। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा आन्दोलन और इसके केंद्र नागरी प्रचारिणी सभा (बनारस) से हमसब परिचित ही हैं और कैसे भाषा हिन्दू बनाम मुस्लिम भाषा में बंट गई। यहाँ याद रखने की जरूरत है कि उस समय हिंदी के नाम पर आरक्षण मांगने वाले सवर्णों की भी कमी नहीं थी। चूंकि अदालती भाषा फारसी और उर्दू थी, इसलिए हिंदी/नागरी पढ़ने वाले रोजगार के साधन से वंचित रह जाते थे।

ज्ञान और काबिलियत को हमलोग अमूमन अंकों से जोड़कर देखने के आदी हो गए हैं। कबीर और रविदास तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए नहीं तो फिर उन्हें किस श्रेणी में रखा जाय ? बहरहाल, जरा अंक और काबिलियत का खेल व उसका इतिहास देखिए। अंग्रेजी हमारी भाषा तो है नहीं। लार्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। दलित चिन्तक चन्द्रभान प्रसाद बड़े धूम-धाम से मैकाले की जयंती मानते हैं और अंग्रेजी देवी की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि अंग्रेजी शिक्षा के बगैर दलितों की मुक्ति संभव नहीं है। मेरी सहमति है चंद्रभान जी के विचारों से। औपनिवेशिक शासन काल में सभी बड़े अधिकारी (ICS) ब्रिटेन से आते थे, और छोटे-मोटे बाबूओं, चपरासी, क्लर्क के लिए अंग्रेजों ने तक़रीबन हर जिला मुख्यालयों में एक सरकारी स्कूल की स्थापना की थी। सनद रहे, पै परीक्षा में भेदभाव के लिए भारत के 'सवर्णों' ने अंग्रेजों पर भयानक दोषारोपण किए थे।

बाबूगिरी करने के लिए जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे वे तो निश्चित रूप से यहाँ के सवर्ण ही थे। अब जरा उनकी मार्क्स और मेरिट देखिए। 'द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट' (1902) के 12वें पेज पर दसवीं कक्षा के रिजल्ट की समीक्षा कुछ इस तरह से की गई है, ''हमें यह बताया गया कि यदि इंग्लिश में पास मार्क्स 33 के बजाए 40 प्रतिशत रहे होते, तो सिर्फ कलकत्ता में 1400 छात्र और फेल हो गए होते। "जाहिर है 1901 से पहले इंग्लिश में पास मार्क्स चालीस प्रतिशत थे, जिसे घटाकर 1901 में तैंतीस प्रतिशत कर दिया गया। इतिहास को दो कदम और पीछे लेकर चलें। सन 1854 के प्रसिद्द वुड्स डिस्पैच के बाद जब भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई, तब सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दो ही श्रेणी होती थी और न्यूनतम पास मार्क्स चालीस प्रतिशत।

तैंतीस प्रतिशत पास मार्क्स और थर्ड डिवीज़न इस देश के ब्राह्मणों की देन है। इस बात पर 'मेरिटवादियों' को जरूर गर्व करना चाहिए। इस आविष्कार की कहानी देखिए। 1857 के आसपास मद्रास में पहला डिग्री कॉलेज खुला, तब एक संकट खड़ा हो गया। पढ़ाने के लिए पर्याप्त छात्र नहीं मिल रहे थे, तब मद्रास के ब्राह्मणों ने ब्रिटिश हुकूमत से मांग की कि इंटरमीडिएट पास करने के लिए पास मार्क्स घटाकर तैंतीस कर दिया जाय और एक नई थर्ड डिवीज़न शुरु कर दी जाय। उनका तर्क था कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भारत के लिए नया है और इसे समझने में उन्हें वक्त लगेगा। ब्राह्मणों की बात मान ली गई और तब से सिस्टम चला आ रहा है। अब देखते हैं कितना समय लगा। 'प्रोग्रेस ऑफ़ एजुकेशन इन इंडिया', 1927-32 के रिपोर्ट के अनुसार 1927-32 के दौरान मेडिकल के फाइनल एग्जाम में 47 प्रतिशत, इंजीनियरिंग में 34 प्रतिशत छात्र फेल हो जाते थे।

अब जरा सोचने की बात है, जो सवर्ण इस समय शिक्षा ले रहे होंगे, जाहिर है वे हर तरीके से सशक्त रहे होंगे। लेकिन उन्होंने इस देश को क्या आविष्कार दिया – तैंतीस प्रतिशत और थर्ड डिवीज़न ! अब प्रश्न उठता है कि क्या इस देश के दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित जमात ने अपने लिए कोई और डिवीज़न या पास मार्क्स माँगा यकीकन नहीं। सिर्फ एंट्री लेवल पर प्रवेश की मांग। लेकिन क्या स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में उन्हें अपनी मौलिक प्रतिभा को निखारने, विकसित करने का वह मनोवैज्ञानिक माहौल मिलता है, जो किसी सवर्ण को मिलता है ? हर कदम पर भेदभाव, तिरष्कार, उपहास – कुल मिलाकर हर कदम पर सांस्कृतिक/मनोवैज्ञानिक बलात्कार से कम नहीं ! इसलिए मेरिटवादियों को अपने इतिहास और व्यवहार पर जरूर एक बार गंभीरता से सोचना चाहिए।

प्रयोगशाला से लेकर अंकों के मूल्यांकन और इंटरव्यू की 'ईमानदारी' से तो हम सब परिचित ही हैं। यदि एक छात्र सर्व-सुविधा सम्पन्न, अंग्रेज़ीदा (जिसमें प्रचुर मात्रा में अध्ययन सामग्री है), दूसरा सर्व-सुविधाविहीन क्षेत्रीय भाषा (जिसमें न के बराबर अध्ययन सामग्री), फिर भी यदि दोनों के अंक समान हों तो कौन ज्यादा काबिल ? यदि दिल्ली विवि के हिन्दू कॉलेज में SC/ST का कट ऑफ 95 प्रतिशत और समान विषय में सामान्य के लिए कट ऑफ 90 प्रतिशत, तब कौन ज्यादा काबिल ? इन प्रश्नों का उत्तर पूर्वाग्रहों से नहीं वैज्ञानिकता और तर्क से ढूंढिए, सही उत्तर मिल जायेगा। फिर काबिलियत इस बात से भी तय होता है कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है और कैसे ले रहा है। फ़र्ज़ कीजिए, एक ही बोर्ड में एक छात्र से छमंचस की स्पेलिंग पूछी जाय और दूसरे छात्र से ब्रमबीवेसवआंपं की। प्रथम दृष्टान्त, दोनों प्रश्न एक ही तरह के हैं, सिर्फ देश का नाम पूछा गया है। लेकिन क्या दोनों एक ही सवाल है ? यक़ीनन नहीं। यह भी हो सकता है कोई Nepal की गलत स्पेलिंग बताकर भी पास हो जाय और कोई Czechoslovakia की सही स्पेलिंग बताकर भी फेल। इस तरह बनाई जाती है भारत में 'मेरिट'!

ध्यान देने की जरुरत है हर स्तर मूल्यांकन की विधि में बेईमानी है। शिक्षा केन्द्रों, खासकर उच्च शिक्षा केन्द्रों में दलित-आदिवासी और पिछड़ों पर लगातार जो सांस्थानिक और सुनियोजित हमले हो रहे हैं, उसे भी समझने की जरुरत है। सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद अब दलित, आदिवासी और पिछड़ी जमात से एक आत्म-विश्वासी, विचारधारा से लैस, अंग्रेजी पढ़ने-लिखने और बोलने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में आ रहे हैं। परंपरागत 'मेरिटवादियों' को लगता है कि उनके 'निजी' क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। सदियों से वे शिक्षा के केन्द्रों को अपना खानदानी जायदाद समझते रहे हैं, परन्तु संतानों के प्रजातंत्रीकरण से उनकी बेचैनी और बौखलाहट बढ़ गई है। इसीलिए तरह-तरह से हमले हो रहे हैं – रोहित की 'आत्महत्या' इसी श्रृंखला की कड़ी थी !

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

http://www.nationaldastak.com/news-view/view/ opinion-of-ratan-lal-about-third-division-/

जम्मू कश्मीर के अंबारां में था नालंदा से भी बड़ा बौद्ध महाविहार

चिनाब नदी के किनारे अखनूर के पास अंबारां में कभी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और महाविहार से भी बड़ा महाविहार था। हालांकि, अभी इस पूरे इलाके की पूरी खोदाई होनी बाकी है। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति बताती है कि यहां कई प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं के अवशेष छिपे हैं।

यह स्थान इसलिए भी खास है कि यहां हुई खोदाई में विशेष किस्म की एक मंजूषा (कास्केट) मिली है। इसमें कुछ रत्नों के साथ ही किसी मनुष्य के अवशेष मिले हैं। इसमें राख और अस्थियों के कुछ टुकड़े हैं।

करीब डेढ़ दशक पहले भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआई) द्वारा यहां की गई खोदाई में चार प्रमुख संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इनमें प्री कुषाण काल ईसा पूर्व पहली शताब्दी, ईसा पूर्व पहली से तीसरी शताब्दी तक कुषाण काल, चौथी-पांचवीं सदी गुप्त काल और गुप्त काल के बाद छठवीं से सातवीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं।

इनमें टेराकोटा की मूर्तियां, मास्क कुछ लोहे के औजार और कई स्तूपों के अवशेष मिले हैं। अगस्त 2014 में इस स्थान के महत्व को देखते हुए बौद्ध गुरु दलाईलामा भी यहां की यात्रा कर चुके हैं।

http://www.amarujala.com/jammu-and-kashmir/ambarn-buddhist-monastery-was-bigger-than-nalanda-monastery

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में अजा/जजा परिसंघ द्वारा किए गए प्रमुख कार्य

साथियो,

सवाल उठ रहे है कि डॉ. उदित राज बदल गये है। कमजोर हो गये हैं। डॉ. उदित राज से उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? क्या उसी से उम्मीद करनी चाहिए जो कुछ करता हो? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उन लोगों ने ऐसी गलत फहमी फैलाई है जो पहले से जमे हुए हैं, कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया और स्वयं को कमजोर होने का डर है। कुछ स्वार्थी जातिवाद करके जिन्दा हैं और वही हमारी बुराई करते हैं। दिमागी खुराक की खोज में नये-नये संगठन बना कर शक्ति का बंटवारा और समाज को धोखा। ये दलित और कुचले कम से कम इतना ही कर लें कि पूर्ण जानकारी के बाद ही कोई और अवधारणा बनाए।

जो कार्य अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ पिछले 18 वर्ष में किया है अगर किसी दलित संगठन एवं नेता ने किया हो तो कोई बताने का कष्ट करे। उन कार्यों को विस्तार में न लिखकर संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। परिसंघ चुनौती देता है कि संवाद या लिखित रूप से हमारे द्वारा किए गए सामाजिक कार्य इतना किसी और ने किया हो? यहां कुछ कार्यों का ही उल्लेख किया जा रहा है।

1. सन 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे और उनकी वापिसी के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन हुआ था। 1997, 1998, 1999 एवं 2000 में विशाल आंदोलन हुए और जिसकी वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुआ और आरक्षण बच पाया।

2. 4 नवम्बर 2001 को सरकारी दिक्कतों के बावजूद लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई । रामराज से उदित राज हो गए, जो ये प्रमाणित करता है कि यह जाति तोड़ने व वास्तविक सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रयास था।

3. जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रहीं थीं तो निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हमने उठाया। जब मुद्दे में जान आने लगी, तभी समाज के कुछ नेता घबरा गये और हमारा विरोध करके हमे कमजोर करने लगे। शुरुआत में आंदोलन के दबाव के कारण मनमोहन सिंह जी की सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए शरद पवार के नेतृत्व में मंत्री समूह की कमेटी का गठन किया। अगर समाज पूरा साथ देता तो बहुत संभव है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण अब तक मिल गया होता।

4. 2006 में जब पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थानो में आरक्षण मिला तो उसका विरोध तथाकथित जातिवादी लोग करने लगे। तो परिसंघ ने ही मोर्चा संभाला और अंत में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला।

5. अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग में दलितों के उत्पीड़न की आवाज कई बार हमने उठायी।

6. 2006 में नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके प्रमोशन में आरक्षण बचाने का कार्य किया । क्या देश का कोई और संगठन या व्यक्ति है जो उस समय सक्रिय हुआ? अगर डॉ. उदित राज न होते तो शायद प्रमोशन में आरक्षण उसी समय खत्म हो जाता। 85वाँ संवैधानिक संशोधन की वजह से यह विवाद खड़ा हुआ था। संशोधन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इस अधिकार को बचाने का कार्य परिसंघ ने ही किया। जो अधिकार डॉ. उदित राज ने दिलाया वह मायावती की सरकार में छिन गया। 4 जनवरी 2011 को प्रमोशन में लखनऊ हाई कोर्ट ने आरक्षण समाप्त कर दिया । हाई कोर्ट के आदेश ने इतना गुंजाइश छोड़ी की यदि राज्य सरकार चाहे तो कुछ शर्तें पूरा करके प्रमोशन में आरक्षण आगे चालू रख सकती है । जैसे राजस्थान की सरकार ने एक समिति बनाकर प्रमोशन में आरक्षण दिया वैसा मायावती सरकार ने क्यों नही किया? सवर्ण वोट की लालच की खातिर मायावती जी स्वयं निर्णय न करके मामले को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया और वहां पर हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लग गई। हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट न जाएं लेकिन बसपा की सरकार ने एक नही सुनी? क्योंकि परिसंघ ने इस मांग को उठाया था। जरा सोचिए प्रमोशन में आरक्षण की समस्या किसने खड़ी की है?

7. सन 2011 में अन्ना हजारे ने जब लोक पाल बनाने का आंदोलन छेड़ा तो सारा देश दबाव में आ गया था और अकेला परिसंघ ही था कि उसने चुनौती दी कि क्या लोकपाल में दलित-पिछड़े और अल्पसंख्यक भी स्थान पाएगें? उस समय की मांग के अनुसार संसद की कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और सीबीआई तक सभी लोकपाल के अन्दर आने की बात थी। हमने लोकपाल बिल में आरक्षण की बात उठाई तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाने में रूचि ही समाप्त कर दी। मान लिया जाए कि परिसंघ द्वारा अगर अवाज नहीं उठाई गई होती तो लोकपाल बन गया होता। तो संविधान के ऊपर लोकपाल बैठ जाता और इस देश में महिलाओं, दलितों एवं पिछड़ो की हालत खराब हो जाती। हमने बहुजन लोकपाल बिल बनाकर आरक्षण की मांग की और यह मांग पूरी भी हुई।

8. अब तक हमने हजारों कर्मचारियों की नौकरियों को बचाया है व लाखों के तमाम भेदभाव को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की, यही कारण है, जब परिसंघ आवाहन करता है तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। परिसंघ किसी को भी चुनौती देता है की लिखित में कोई बहस कर ले यदि देश में किसी और नेता ने इतना कार्य किया हो तो आलोचना करो, लेकिन गलती तो बताओ ।

ज्यादातर निकम्मे ही आलोचना करते हैं। वे अपने गिरेबान में झाँककर देखें कि उन्होंने क्या किया है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई और अम्बेडकर क्यों नही पैदा हो रहा है, तो कोई कैसे पैदा होगा जब अपने ही लोग टांग खीचते हैं? बाबा साहब की तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती लेकिन अगर निष्पक्षता पूर्वक समीक्षा की जाए तो परिसंघ ने उस दिशा में कुछ प्रयास किया है और जारी रहेगा। 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया गया है। अब परिसंघ से संबधित पत्राचार या समस्या का आदान-प्रदान नये ईमेल पर होगा

parisangh1997@gmail.com

डॉ. उदित राज ने जितना दलितों के बारे में संसद में प्रश्न किए हैं, शायद किसी और ने नहीं। कर्मचारी-आधिकारी रिटायर हो रहे है उनके एवज में भी भर्ती नहीं हो पा रही है। बढ़ी हुई जनसंख्या के मुताबिक भर्ती की तो बात बहुत दूर की है। ठेकेदारी प्रथा से आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई कमजोर होती जा रही है। पदोन्नोति में आरक्षण की परेशानी बढ़ती जा रही है। चारो ओर अंधकार ही अंधकार है। उजाले की ओर बढ़ने के लिए अब एक होकर कुछ तो करो।

– ब्रह्म प्रकाश
राष्ट्रीय महासचिव
अज/जजा अखिल भारतीय परिसंघ

1998 में आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी हेतु फिरोज शाह कोटला मैदान में विशाल रैली आयोजित की गयी

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में लोक पाल में आरक्षण हेतु इंडिया गेट पर 24 अगस्त, 2011 को विशाल रैली की गई

निजी क्षेत्र में आरक्षण व आरक्षण कानून बनाने के लिए नवंबर-दिसंबर 2009 में डॉ. उदित राज ने आमरण अनशन किया

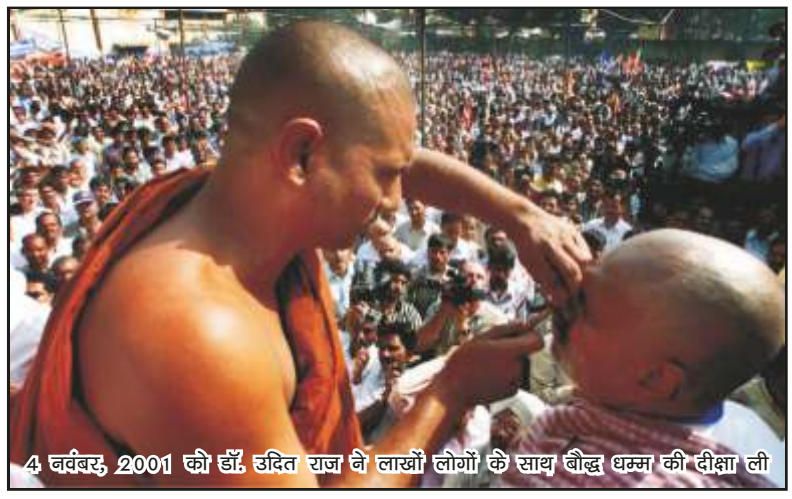
4 नवंबर, 2001 को डॉ. उदित राज ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली

16 दिसंबर, 2013 को दिल्ली में आयोजित रैली में अपार जनसमूह के साथ डॉ0 उदित राज

दलित

https://hi.wikipedia.org/s/12n

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

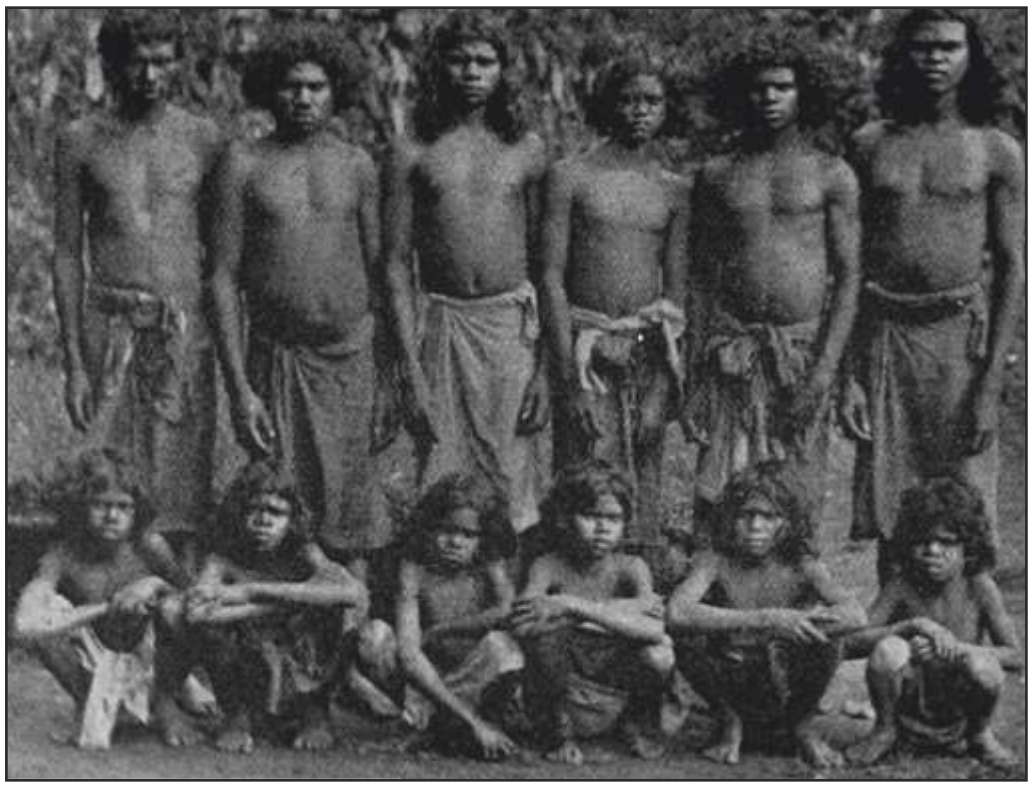

दलित हजारों वर्षों तक अस्पृश्य समझी जाने वाली उन तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त होता है जो हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित है। संवैधानिक भाषा में इन्हें ही अनुसूचित जाति कहा गया है। भारत की जनसंख्या में लगभग 20 प्रतिशत आबादी दलितों की है।

अर्थ व अवधारणा

दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है– दलन किया हुआ। इसके तहत वह हर व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण–उत्पीडन हुआ है। रामचंद्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा है, मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, विनष्ट किया हुआ। पिछले छह–सात दशकों में श्दलित पद का अर्थ काफी बदल गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के बाद यह शब्द हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित हजारों वर्षों से अस्पृश्य समझी जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग होता है। अब दलित पद अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों की आंदोलनधर्मिता का परिचायक बन गया है। भारतीय संविधान में इन जातियों को अनुसूचित जाति नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज में वाल्मीकि या भंगी को सबसे नीची जाति समझा जाता रहा है और उसका पारंपरिक पेशा मानव मल की सफाई करना रहा है। परन्तु आज के समय में इस स्थिति में बहुत बदलाव आया है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में दलित आंदोलन की शुरूआत ज्योतिराव गोविंदराव फुले के नेतृत्व में हुई। ज्योतिबाराव फुले जाति से माली थे और समाज के ऐसे तबके से संबध रखते थे जिन्हें उच्च जाति के समान अधिकार नहीं प्राप्त थे। इसके बावजूद ज्योतिबा फुले ने हमेशा ही तथाकथित नीची जाति के लोगों के अधिकारों की पैरवी की। भारतीय समाज में ज्योतिबा फुले का सबसे पहले दलितों की शिक्षा का प्रयास था। ज्योतिबा फुले ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने दलितों के अधिकारों के साथ–साथ दलितों की शिक्षा की भी पैरवी की। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए सहारनीय कदम उठाए। भारतीय इतिहास में ज्योतिबा ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए न केवल विद्यालय की वकालत की बल्कि सबसे पहले दलित विद्यालय की भी स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज में दलितों को एक ऐसा पथ दिखाया था जिस पर आगे चलकर दलित समाज और अन्य समाज के लोगों ने चलकर दलितों के अधिकारों की कई लड़ाई लडी। यूं तो ज्योतिबा ने भारत में दलित आंदोलनों का सूत्रपात किया था लेकिन इसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम बाबा साहब डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने किया। एक बात और जिसका जिक्र किए बिना दलित आंदोलन की बात बेमानी होगी वो है बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व 600 ईसवी में ही बौद्ध धर्म ने हिंदू समाज के निचले तबकों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। भगवान गौतम बुद्ध ने इसके साथ ही बौद्ध धर्म के जरिए एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति लाने की भी पहल की। इसे राजनीतिक क्रांति कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय सत्ता पर धर्म का आधिपत्य था और समाज की दिशा धर्म के द्वारा ही तय की जाती थी। ऐसे में समाज के निचले तबके को क्रांति की जो दिशा भगवान बुद्ध ने दिखाई वो आज भी प्रासांगिक है। भारत में चार्वाक के बाद भगवान बुद्ध ही पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ न केवल आवाज उठाई बल्कि एक दर्शन भी दिया। जिससे कि समाज के लोग बौद्धिक दासता की जंजीरों से मुक्त हो सकें।

यदि समाज के निचले तबकों के आदोलनों का आदि काल से इतिहास देखा जाए तो चार्वाक को नकारना भी संभव नहीं होगा। यद्यपि चार्वाक पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं इसके बावजूद चार्वाक वो पहला शख्स था जिसने लोगों को भगवान के भय से मुक्त होना सिखाया। भारतीय दर्शन में चार्वाक ने ही बिना धर्म और ईश्वर के सुख की कल्पना की। इस तर्ज पर देखने पर चार्वाक भी दलितों की आवाज़ उठाता नज़र आता है।....खैर बात को लौटाते हैं उस वक्त जिस वक्त दलितों के अधिकारों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारत रत्न बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर ने लड़ाई शुरू कर दी थी। वह वक्त था जब हमारा देश भारत ब्रिटिश उपनिवेश की श्रेणी में आता था। लोगों के लिए भले ही यह दासता का समय रहा हो लेकिन दलितों के लिए कई मायनों में स्वर्णकाल था।

आधुनिक भारत व दलित अधिकार

आज दलितों को भारत में जो भी अधिकार मिले हैं उसकी पृष्ठभूमि इसी शासन की देन थी। यूरोप में हुए पुर्नजागरण और ज्ञानोदय आंदोलनों के बाद मानवीय मूल्यों का महिमा मंडन हुआ। यही मानवीय मूल्य यूरोप की क्रांति के आर्दश बने। इन आदर्शों के जरिए ही यूरोप में एक ऐसे समाज की रचना की गई जिसमें मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी गई। ये अलग बात है कि औद्योगिकीकरण के चलते इन मूल्यों की जगह सबसे पहले पूंजी ने भी यूरोप में ली लेकिन इसके बावजूद यूरोप में ही सबसे पहले मानवीय अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई। इसका सीधा असर भारत पर पड़ना लाजमी था और पड़ा भी। इसका सीधा सा असर हम भारत के संविधान में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर सभी अनुच्छेद इन्हीं मानवीय अधिकारों की रक्षा करते नज़र आते हैं। भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा सबसे सशक्त रूप में डॉ. अम्बेडकर ने उठाया। डॉ. अम्बेडकर दलित समाज के प्रणेता हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की। साफ तौर पर भारतीय समाज के तात्कालिक स्वरूप का विरोध और समाज के सबसे पिछड़े और तिरस्कृत लोगों के अधिकारों की बात की। राजनीतिक और सामाजिक हर रूप में इसका विरोध स्वाभाविक था। यहां तक की महात्मा गांधी भी इन मांगों के विरोध में कूद पड़े। बाबा साहब ने मांग की दलितों को अलग प्रतिनिधित्व (पृथक निर्वाचन का अधिकार) मिलना चाहिए यह दलित राजनीति में आज तक की सबसे सशक्त और प्रबल मांग थी। देश की स्वतंत्रता का बीड़ा अपने कंधे पर मानने वाली कांग्रेस की सांसें भी इस मांग पर थम गई थीं। कारण साफ था समाज के ताने बाने में लोगों का सीधा स्वार्थ निहित था और कोई भी इस ताने बाने में जरा सा भी बदलाव नहीं करना चाहता था। महात्मा गांधी जी को इसके विरोध की लाठी बनाया गया और बैठा दिया गया आमरण अनशन पर। आमरण अनशन वैसे ही महात्मा गांधी का सबसे प्रबल हथियार था और वो इस हथियार को आये दिन अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रयोग करते रहते थे। बाबा साहब किसी भी कीमत पर इस मांग से पीछे नहीं हटना चाहते थे वो जानते थे कि इस मांग से पीछे हटने का सीधा सा मतलब था दलितों के लिए उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण मांग के खिलाफ में हामी भरना। लेकिन उन पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगा और अंततः पूना पैक्ट के नाम से एक समझौते में दलितों के अधिकारों की मांग को धर्म की दुहाई देकर समाप्त कर दिया गया। इन सबके बावजूद डॉ. अंबेडकर ने हार नहीं मानी और समाज के निचले तबकों के लोगों की लड़ाई जारी रखी। अंबेडकर के प्रयासों का ही ये परिणाम है कि दलितों के अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह दी गई। यहां तक कि संविधान के मौलिक अधिकारों के जरिए भी दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की गई।

✦✦✦

नसोसवायएफ की दिल्ली, मुरादाबाद एवं कानपुर में बैठक संपन्न

नेशनल एस.सी./एस.टी. ओ.बी.सी. एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) देश में तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। पिछले महीने में नसोसवायएफ ने दिल्ली, मुरादाबाद, कानपुर, विजयपुर एवं खुर्जा में लगभग 10 सभाएं की हैं। इन सभाओं के आयोजन का मकसद भूमण्डलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण से शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आया है, उससे दलित, आदिवासी एवं ओबीसी और गरीब किसान के बच्चे परेशान हुए हैं। इनके लिए शिक्षा के निजीकरण द्वारा शिक्षा के दरवाजे बंद करने का कार्य देश में जोरों से चल रहा है। दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्र अपनी गरीबी के कारण निजी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी शिक्षण संस्थान निजी शिक्षण संस्थानों का मुकाबला नहीं कर सकते। सरकारी शिक्षण संस्थानों में अच्छी शिक्षा एवं शिक्षा के नए साधन, तकनीकी ज्ञान का अभाव दिखाई देता है। आज शिक्षा व्यवस्था विषमतावादी है। इसका असर दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्र के भविष्य पर हो रहा है। वर्तमान व्यवस्था में जिनको अच्छी शिक्षा उनको ही अच्छी नौकरी का समीकरण बना है। अगर दलित, आदिवासी, ओबीसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो उनको अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी। हमारे विकास का एक मात्र माध्यम शिक्षा है और आज हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे बंद करने का प्रयास हो रहा है। इसके खिलाफ छात्र अपनी खामोशी तोड़कर नसोसवायएफ के आंदोलन में साथ दें। पढ़ाई के साथ–साथ समान शिक्षा के लिए आंदोलन में शामिल होना छात्रों की नौतिक जिम्मेदारी भी बनती है। इसी बात की जागरूकता के लिए इन सभाओं का आयोजन किया गया था। इन सभी सभाओं को नसोसवायएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डी. हर्षवर्धन एवं नसोसवायएफ के राष्ट्रीय समन्वयक प्रताप सिंह अहिरवार ने संबोधित किया। इस बीच मुरादाबाद मंडल प्रभारी हरिओम दिवाकर को नियुक्त किया। मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष पद पर राजीव कुमार और जिला सचिव के पद पर मुकेश कुमार को नियुक्त किया गया है। दस जिले को कानपुर में आयोजित मीटिंग में कानपुर मंडल के प्रभारी पद पर जितेन्द्र कमल जी की नियुक्ति की गयी तो कानपुर जिलाध्यक्ष पद पर हिमांशु कुमार की नियुक्ति की गयी। इन सभी सभाओं में छात्र और बेरोजगार युवा भारी संख्या में उपस्थित थे। निजी क्षेत्र में आरक्षण और समान शिक्षा कानून लागू करने का आंदोलन तेजी से बढ़ाने के लिए कार्य करने का विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया।

✦✦✦

‘कास्ट इन इंडिया’ के 100 साल पूरे

भारतीय जाति व्यवस्था उसकी कार्यप्रणाली, निर्माण एवं विकास

‘कास्ट इन इंडिया’ शोध प्रबंध को आज 100 साल पूरे हो गए। बाबा सहब डॉ. अम्बेडकर ने अपनी उम्र के 20वें साल 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में एम.ए. की डिग्री के लिए ‘कास्ट इन इंडिया – दियर मैकेनिज्म, जिनीसेंस एवं डेवलपमेंट’ को पर अपना शोध प्रबंध पेश किया था। इस शोध प्रबंध को 2016 में 100 साल पूरे हो गए। बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर के जातीय उन्मूलन के मिशन में कास्ट इन इंडिया द्वारा सैद्धांतिक रचना से शुरुआत मानी जा सकती है। मानव वंश शास्त्र में एम.ए. की डिग्री प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब ने लिखित परीक्षा का विकल्प नकारते हुए शोध प्रबंध द्वारा परीक्षा देने का विकल्प चुना था। 9 मई 2016 को बाबा साहेब द्वारा इस विषय पर शोध और अध्ययन पूरा करके प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा यह विषय लेने का मकसद अपना पाठ्यक्रम पूरा करना मात्र नहीं था, बल्कि अपने जीवन में जातिव्यवस्था से शोषण, दमन और छुआछूत को व्यक्त करना व दुनिया के सामने प्रस्तुत करना था। जिस व्यवस्था ने अपने समाज को वंचित और विकलांग बनाया है, ऐसे ब्रह्मणवादी जातिव्यवस्था में मनुष्य मृत-यातनाओं की अनुभूति किया है। ऐसी जुल्मी जातीय व्यवस्था का अंत करना और एक समतावादी समाज का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य था। बाबा साहेब ने जातीय शोषण की जड़ तक पहुंचकर जातीय उन्मूलन हेतु अपने मिशन का मकसद बनाया। इसी मकसद के लिए इस शोध प्रबंध का असाधारण महत्त्व है। यह शोध प्रबंध भारतीय जाति की कार्यप्रणाली, उसका निर्माण और जाति के विकास के बारे में एक महत्त्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इसीलिए इस शोध प्रबंध के 100 साल बाद भी यह नया और समाज को दिशा देने वाला लगता है। इसी अवसर पर हमने इस निबंध को लिखना उचित समझा।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जातिव्यवस्था का अध्याय देशी और विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा दौरा किया गया। बाबा साहेब ने इस विषय पर अध्ययन कर चुके फ्रांस के विद्वान व शोध अध्ययनकर्त्ता सेनार्ट, नेशफील्ड, सर एच. रेसले आदि विदेशी और डॉ. केतकर जैसे देशी विद्वानों के ग्रंथ द्वारा उपरोक्त जानकारी के अनुसार भारतीय जातीय व्यस्था जैसे जटिल विषय पर अध्ययन किया। वैसे तो इस विषय पर आज तक बहुत सारे विद्वानों ने शोध किया मगर यह विषय अभी भी अस्पष्ट रहा है। बाबा साहेब ने खुद भी अपने शोध प्रबंध में इसके बारे में और अध्ययन और संशोधन की जरूरत महसूस किए हैं। भारतीय समाज इतिहास में एक वंश का नहीं था और वह आज भी एक नहीं है। भारत में रहने वाले मानवीय वंश उसमें आर्य, द्रविड़, मंगोलियन, सिथियन आदि के मिश्रण से भारतीय वंश समाज बना है। यह सिद्धांत मानव वंश शास्त्र ने माना है और बाबा साहेब ने भी स्वीकार किया है। मगर अनेक वंश होने या अलग-अलग वंश के लोग एकजुट भारतीय समाज में नहीं हो पाए। यह वास्तविकता है। मगर इन समुदायों में सांस्कृतिक एकता बनी हुई है। अलग-अलग रहने वाले जनसमुदाय को एकजुट करने का कार्य सांस्कृतिक एकता द्वारा गया है, इसलिए भारतीय जाति की समस्याओं को समझना कठिन हो जाता है। ऊपर के चारों विद्वानों ने जातीय व्यवस्था की जो व्याख्या की है, उस पर बाबा साहेब ने अपनी राय देते हुए कहा है कि जाति के निर्माण में केन्द्रीय मुद्दों को इन विद्वानों ने नजरंदाज किया है। इन शोधकर्त्ताओं के अनुसार जाति एक आइसोलेटेड यूनिट है। इस वजह से जाति और जातीय व्यवस्था पर आधारित रहने वाले छोटे समुदायों में निश्चित स्वरूप के संबंध में रहने वाली और समाज के भीतर एक छोटे समूह के रूप में रहने वाला जातिगत इकाई माना जाता है। इस भारतीय समाज व्यवस्था की वास्तविक सच्चाई को इन विद्वानों ने नजरंदाज किया है। ऐसा बाबा साहेब का कहना है। भारतीय समाज व्यवस्था दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अलग मानी जाती है, जिसका कारण भारतीय जाति व्यवस्था का निर्माण है। पर भारत में ही जाति व्यवस्था का निर्माण क्यों हुआ और दूसरे देशों में क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ना आज भी जरूरी बनता है। जो बाबा साहेब ने 100 साल पहले पूछा था। वैसे तो समाज लोगों के संगठित होने से तैयार होता है। यह सिद्धांत भी भारतीय समाज व्यवस्था पर लागू करना एक मूर्खता होगी, ऐसा बाबा साहेब ने कहा था। समाज निर्माण के सिद्धांत में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादन में समाज निर्माण विभिन्न सामाजिक वर्गों के एकजुट होने से होती है, ऐसा माना जाता है। भारतीय समाज में भी विभिन्न वर्ग अस्तित्व में थे। यह वास्तविकता है। इन वर्गों का अधार सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक रह सकता है और हरेक समाज का व्यक्ति किसी न किसी वर्ग का सदस्य था। समाज में वर्ग रहना एक वास्तविकता है। हिन्दू समाज में भी यह अपवाद नहीं था क्योंकि वर्गीय समाज का निर्माण पूरे विश्व की प्रक्रिया है। मगर भारत जैसे देश में वर्गीय समाज होते हुए भी जाति का निर्माण होना और वर्गीय समाज से लुप्त होना और नई समाज व्यवस्था स्थापित होना, यह जातिव्यवस्था के निर्माण के कारण बने हुए हैं। बाबा साहेब ने भारतीय वर्ग को सीमित वर्ग कहा। जाति और वर्ग में फासला कम है, मगर वर्ग में कोई भी अपनी काबिलियत से अच्छे और बुरे कार्य में आ सकता है। मगर सीमित

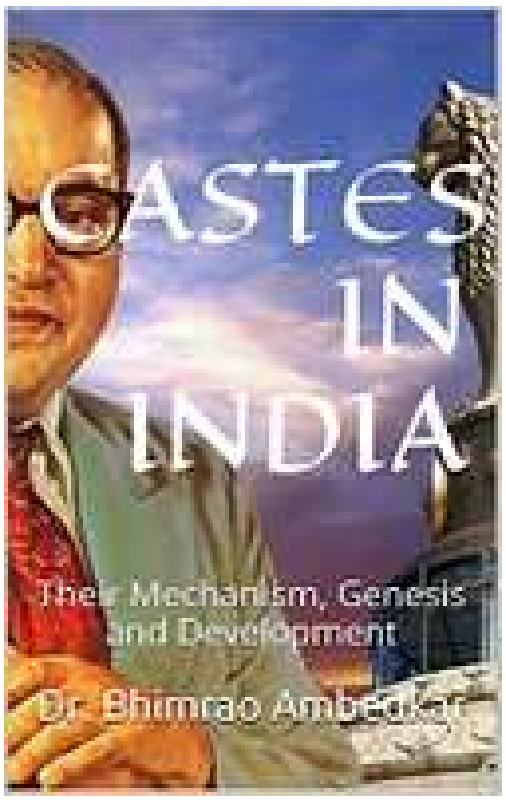

वर्ग में काबिलियत एक ही वर्ग में सिद्ध करने का अधिकार समाज को मिलता है। बाबा साहेब के द्वारा सीमित वर्ग के इस अध्ययन और संशोधन पर आज भी समाज बंटा हुआ है और इसका कारण यह सीमित वर्ग ही है। बाबा साहेब ने जाति की व्याख्या करते कहा कि ‘कास्ट इज अनक्लोज्ड क्लास।’’ भारतीय समाज व्यवस्था में ऐसा पहला कौन सा वर्ग है, जिसने खुद को सीमित बनाया। इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने अपने अध्ययन द्वारा देते हुए जातीय व्यवस्था की शुरुआत उस वर्ग के सीमित होने से ही किया। भारत में पहला सीमित वर्ग ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने किया। इन्होंने अध्ययन और अध्यापन का कार्य सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रखा और विवाह संबंध भी अपने ही वर्ग में बनाने के लिए कुछ अलिखित कानून बनाए। विवाह संस्था के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगायी गयी और दूसरे वर्गों के साथ विवाह या संतान-प्राप्ति से वर्ग बाहर या वर्ण से बाहर किया जाना शुरु हो गया। आज भी भारतीय जाति व्यवस्था में हरेक जाति इसका अनुकरण करती है। ब्राह्मणों के वर्ग बंधिता से क्षत्रिय, वैश्य जैसे वर्ण भी प्रभावित हुए और इन्होंने भी अपने ऊपर वर्ण पाबंदी और विवाह पर पाबंदी लागू किया। वर्ण पाबंदी से समाज में श्रेष्ठ और नीच होने की होड़ लग गयी और यह होड़ आज भी दिखाई दे रही है। विवाह संस्था पर पाबंदी लगने से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जैसे कृत्य समाज में हो रहे थे। ऐसे विवाहों को प्रतिबंधित वर्ग वालों ने अपने वर्ग से बाहर निकाला और ऐसे विवाहों से जन्मी संतानों का एक वर्ण निर्माण हुआ जिसको हम जाति-व्यवस्था में शूद्र वर्ण मानते हैं। बाबा साहेब का यह सिद्धांत अध्ययनपूर्ण हमें लगता है। बाबा साहेब ने इस शोध प्रबंध में भारतीय चार वर्णों के बारे में जिक्र किया। बाबा साहेब ने कहा कि वैदिक काल में तीन वर्ण और उत्तर वैदिक काल में चौथे वर्ण का निर्माण हुआ। बाबा साहेब ने जातिव्यवस्था के निर्माण का पूरा श्रेय मनुस्मृति को कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मनु इतने महान नहीं थे या इतने समर्थ भी नहीं थे जो भारतीय जाति-व्यवस्था का निर्माण कर पाए। मनु के पहले ही जाति-व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी। मनु ने तो मनुस्मृति की जाति-व्यवस्था की आचारसंहिता बनायी और उसे हिन्दू धर्म में लागू करने के लिए कुछ नियम बनाए। मनु ने हिन्दू धर्म के धर्मग्रंथों द्वारा जाति-व्यवस्था के के कानून का प्रचार करने की बात मनुस्मृति में कही थी। दूसरी तरफ बाबा साहेब यह भी कहते हैं कि धर्म ग्रंथों द्वारा जाति-व्यवस्था का निर्माण नहीं किया गया। धर्म-ग्रंथों में जाति-व्यवस्था का समार्थन किया है और भिन्न-भिन्न समय में जाति-व्यवस्था का स्वरूप अपने ग्रंथों में लिखा है। इसलिए धर्मग्रंथों ने जातिव्यवस्था का निर्माण किया, यह कहना उचित नहीं है। बाबा साहेब ने जाति-व्यवस्था के निर्माण का दैवीय सिद्धांत भी नकारा है। बाबा साहेब ने अपने विवेचन में चार वर्णों के बारे में और उसके परिवर्तनीय स्वरूप के बारे में अध्ययन तो किया। इसी अध्ययन के द्वारा चार वर्णों का प्रतिबंधित होना और उसके अनुलोम व प्रतिलोम विवाह से उपजातियों का निर्माण हुआ, ऐसा मानते हैं। बाबा साहेब ने इस शोध प्रबंध में और एक सिद्धांत रखा। वह यह सिद्धांत था कि ब्राह्मण वर्ण का अनुकरण बाकी वर्णों ने किया। भारतीय समाज अनुकरण प्रिय है। इसी अनुकरणप्रियता से जातिव्यवस्था का निर्माण हुआ है। जिस सिद्धांत को हम आज देखते हैं तो एम. एन. श्रीनिवास ने सांस्कृतिककरण का सिद्धांत रखा है। बुद्धिजीवी ब्राह्मण वर्णों का अनुकरण भारतीय समाज में आज भी सभी जातियां करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि हरेक जाति को ब्राह्मण जाति के अनुसार सम्मान मिलने की अपेक्षा रखते हैं और इसी से भारतीय समाज में ऊंच-नीच, छुआ-छूत, जातीय बहिष्कार और सामाजिक, अर्थिक और बौद्धिक अधिकारों में बंटवारा हुआ है। इस बंटवारे में शूद्र समुदाय और अतिशूद्र समुदाय मानवीय अधिकारों से वंचित रखे गए। धर्मग्रंथ, धर्म, मनुस्मृति, ब्राह्मण और क्षत्रियों ने शूद्र वर्णों को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखने का एवं उनके विकास के सारे दरवाजे बंद करने का मनुस्मृति के कानून का पालन आज तक कर रहे हैं। इसी का भारतीय समाज व्यवस्था और व्यक्ति पर असर हमें दिखाई देता है। इसी को जातीय स्तरीकरण माना जाता है। इस शोध प्रबंध द्वारा पहली बार जाति-व्यवस्था के निर्माण की तह तक बाबा साहेब पहुंचे थे और वास्तविक खोज जाति-निर्माण के बारे में किया। आज 100 साल के बाद भी भारतीय समाज जाति-व्यवस्था पर ही आधारित है और जाति व्यवस्था का आधार ही प्रतिबंधित वर्ग बना हुआ है। इससे समाज में विभिन्नता और नैसर्गिक अधिकारों से वंचित दलित दिखाई देते हैं। जातीय उन्मूलन के मिशन में सीमित वर्णों को और जाति को तोड़ना जरूरी है और उसका पहला कदम अंतर्जातीय विवाह हो सकते हैं। बाबा साहेब ने जाति निर्माण का कारण भी विवाह संस्था को बताते हुए कहा कि जब तक अंतर्जातीय विवाह नहीं होगें तब तक जातियों के उन्मूलन की शुरुआत नहीं हो सकती है। 100 साल के बाद भी अम्बेडकरवादी मिशन चलाने वाले नेताओं व कार्यकर्त्ताओं और समाज के बुद्धिजीवियों ने सरकारी स्तर पर अंतर्जातीय विवाह बड़े पैमाने पर करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। सरकार ने भी जातिव्यवस्था खत्म करने के लिए ‘कास्ट इन इंडिया’ शोध प्रबंध में जाति-व्यवस्था के निर्माण के कारणों पर ध्यान नहीं दिया और हमारे बुद्धिजीवी साहित्यकारों ने समाज में अंतर्जातीय विवाह शुरु करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए ‘कास्ट इन इंडिया’ 100 सालों के बाद भी भारत में नए समाज के निर्माण में एक सोच देता है, एक रास्ता देता है और अम्बेडकरवादी मिशन को समतावादी समाज स्थापित करने के लिए एक विचार बहाल करता है।

– डी. हर्षवर्धन

Imbalance in one organ of Government

Justice Khare has rightly said that the poor should not think about the judiciary. This is a right reflection of our judiciary. People have the perception that out of the three wings of Government – executive, legislature and judiciary; the judiciary is the best functioning. This is because there are usually no discussions about the functioning of the judiciary. If some people try to raise their voice, they are stopped through the weapon of contempt of court. Discussions about the Constitutional role of the judiciary about the protection of fundamental rights are also stifled. Leave alone the poor, the middle classes also cannot dream of approaching the higher judiciary. The common man is desperate for justice; but, there are no chances of it in the present system. Keeping these issues in mind, the Government passed the National Judicial Appointments Commission Bill, but even that was scrapped by the Supreme Court. The legislature has a better understanding about the aspirations and problems of the common man, since they are directly linked to the people. Most of the public representatives are compassionate and have a very good understanding of the Indian psyche. There are a few exceptions; due to their actions, the public is sometimes angry with public representatives – this is the anger which the judiciary takes advantage of. If the Indian people were as aware as those of developed countries, then they would also have risen up against the judiciary. We do not think that it takes lacs of rupees to fight a case in the higher judiciary. The higher judiciary has had a taste of ruling the country, and they do not want to leave their powers now. Have these judges now become God, so we cannot even discuss their actions? This is the state of the country today. In the presence of the Prime Minister, the Chief Justice spoke very eloquently about the lack of judges in India; yet he made no mentions about the severe irregularities in the functioning of the judiciary.

Recently, names of 44 people have been sent to the Government for appointment as judges in the Allahabad High Court – most of them are forward castes. Out of the 44, 30 are lawyers. 7 are relatives of serving and retired judges. The judiciary is not ready to even accept the Memorandum of Procedure. A revolution in this regard is necessary, but that is difficult since even for an issue of such national importance, political parties are unable to come together. The Government had passed the National Judicial Appointments Commission Bill to streamline and regularize the appointment of judges. The Government also brought into existence the Memorandum of Procedure, vide which the Government return names of judges recommended by the collegium, if it felt such appointment was against the national importance and national security.

Not one Scheduled Caste person has been appointed as a judge of the Supreme Court in the last 6 years. In the last 10 years, only 3 women judges have been appointed to the Supreme Court. According to figures available with the Ministry of Law and Justice, Government of India, these appointments by the collegium are in violation of laws. Three judges K.L. Mahapatra (Manipur High Court), D.H. Baghela (Bombay High Court) and Manjula Chelur (Calcutta High Court) have had their seniority ignored and juniors appointed as judges of the Supreme Court. There are no framed rules for the functioning of the collegium. There are 8 High Courts which are not represented in the Supreme Court. The Allahabad High Court has 160 posts for judges, out of which 2 have been appointed to the Supreme Court; while out of 94 posts in the Bombay High Court, 5 have been appointed to the Supreme Court.

It is also not right to say that people do not get justice due to lack of judges. The Chief Justice has demanded that 70,000 more judges be appointed. At present, there are more than 3 crore pending in various court. The Ministry of Law and Justice had conducted a study between 2005 and 2015, and concluded that lack of judges is not the only reason for delay in judgments. In Tamil Madu, there are 14 judges for every 10 lac people, and in Punjab 24 per 10 lac, whereas in Delhi, there are 47 judges per 10 lac and in Gujarat, 32 per 10 lac, where there is maximum pendency of cases. In Kerala and Tripura, 1 judge disposes of 3000 and 2800 cases respectively, whereas in Jharkhand and Bihar, 1 judge disposes of 255 and 274 cases respectively.

Due to such behavior of judges, many face-value advocates have sprung up – their fees are in lacs and crores. The other advocates may plead much better, but it is not necessary that their pleas may be upheld. Ours is the only country where judges appoint judges, then why are all these problems being created? Are judges God so they cannot make any mistakes? Whenever the Government tries to curb these practices, the bogey of interference in judiciary is raised. Can a man ever be free of the caste, environment, religion and family in which he is raised? Similarly, if the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women and Backwards are made judges, then judgments in issues related to them can be better and free from faults. A famous jurist of the US, has said that judges can never become independent of their traditions and beliefs. Apart from capability, honesty and impartiality, it is also necessary for different beliefs and value systems to be represented in the judiciary. There must be very few judges whose family members, relatives etc. are not lawyers and law professors. There were also objections when the Government wanted to appoint judges after verification by the IB. A judge of the Ahmedabad High Court had even said that corruption and reservation are destroying the country. The population of Dalits and backwards is around 85%, then is such a large population destroying the country? Compared to the other two of the Government – legislature and executive, the need for improvement in the judiciary is much higher.

- Dr. Udit Raj

Threats not only to reservation, but to life and property have also increased

In Gir Somnath District of Gujarat, 6 Dalits were beaten up as they skinned a dead cow. These Dalits used to stay at Village Samadiyara in Una. The forward castes beat up the Dalits without mercy, with iron rods and sticks. These type of incidents have increased throughout the country. When such incidents increase, then it should be discussed. Such incidents are increasing as those who should lead our society - the Dalit intellectuals and Dalit employees and workers, and Ambedarites are interested only in their personal benefits. The ban on Dalits from entering a temple in Jhansi has also occurred recently. It is worth thinking if only the culprits are responsible for such actions? It is the habit of the exploiters to continue exploiting. Dalits and backwards are a majority of the population, then why are such incidents increasing? The Dalit employees and workers and intellectuals have become inactive, which is why incidents such as these are on the rise.

During the 2 day Conference of the Confederation on 30th and 31st July at Mavlankar Hall, Delhi, these incidents and the strategies to stop these incidents will also be discussed. Privatisation and the contract system have become permanent sources of exploitation, which we have not been able to stop. It is not difficult to stop such acts, if the intellectuals of the SC and ST communities are able to leave some of their personal benefits and wake the entire society. People think that they are not able to find time in their busy schedules nor are they willing to contribute financially - they think that someone is already fighting for them. After birth, some busy schedules and personal problems are bound to occur, and these can never end. Inspite of these limitations, people should find time and resources to contribute towards society.

- Dr. Udit Raj

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 16 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 July, 2016

IAS Topper Tina Dabi Visits Manipur

Kakching (Manipur) 2 July 2016

The Topper of Uion Public Services Commission examination 2015 Ms Tina Dabi is visiting Manipur for two days trip today.

She is invited by the Manipur Branch of All India Confederation of SC ST Organisations for a grand felicitation to be held at Kakching, Manipur on 3rd July at Library and Information Centre Kakching.

The felicitation is jointly organised by the SC/ST Conferation along with Sahitya Seva Samithi Manipur and Library and Information Centre.

The students and academicians from differt parts of Manipur will join the

felicitation and the interaction program.

Ms Tina Dabi is the historical topper as being the first member of Scheduled Caste who tops the prestigious examination of the nation.

She will also visit Good Shepherd School at Kakching which is 107th schools run by Good Shepherd Church and its Associate Ministry all over India to empower the Dalit communities that Tina Dabi come from.

Tina's visit to Manipur will bring light to the aspirants who are attempting the same examination particularly to the people of Kakching whose majority of the population belong to Scheduled Caste.

- Madhu Chandra

9100952490

All India Confederation of SC/ST Organization

National Conference of Confederation in Delhi on 30 & 31 July

The 2 day National Conference of the All India Confederation of SC/ST Organisations will be held under the leadership of Dr. Udit Raj on 30th and 31st July 2016 at Mavlankar Hall, Constitution Club (Near Patel Chowk Metro Station), New Delhi 110 001. The Conference will start at 10 AM on 30th July, and conclude at 5 PM on 31st July. In the present time, the danger to reservation in promotion has increased drastically. In a large state such as Uttar Pradesh, lacs of employees have been demoted. In the Conference, a future strategy to fight for reservation in promotion, reservation in the private sector as well as the other burning issues being fought for by the Confederation will be decided.

Friends, in the present time, the utility of social media has increased dramatically. The campaign against reservation is being run on social media. To fight this and increase the organisational strength of the Confederation, we have to start using social media such as Whatsapp, Facebook, Twitter, E-mail, SMS etc, We all know that we have no representation in sectors in which there is no reservation. If we are not even able to do this, then the time is not far when even the rights we have now get snatched away and we again reach the state where we were hundreds of years back. According to a recent study, social media was the most crucial elements of the campaign in over 150 seats in the 2014 General elections. Arvind Kejriwal and his newly formed party used social media to great effect during the 2015 Delhi elections, and results are there for the world to see. In Egypt, a revolution was brought about by use of social media.

1. **In the Conference, only annual and lifetime members of the Confederation will be allowed to participate. Fees for annual membership is Rs. 100, and for lifetime membership is Rs. 1000. Confederation leaders are requested to bring only Confederation members to the Conference. Those are yet to become members can contact Confederation leaders for membership. They can also become members at the venue before the Conference starts**
2. **All those who wish to attend the Conference must mandatorily bring a smart phone (Android, Windows or iOS) with mobile internet facility, so they can be trained to use social media in the Conference itself. Those who do not know how to use social media should learn the basics before the Conference**
3. **A fees of Rs. 500 per person will be charged as entry fees for the Conference for hall booking, food arrangements etc.**

The social media contact information of the Confederation is given below. Please give advance notice of your intention to attend the Conference on whatsapp or email.

If Confederation leaders want some issues to be raised in Lok Sabha, please let us know on whatsapp or email.

1. **Facebook: www.facebook.com/parisangh.all.india.uditraj**
2. **Whatsapp: 9717046047**
3. **Twitter: @Parisangh1997**
4. **Email: parisangh1997@gmail.com**

Shri Sumit Kumar (mobile number 9868978306) in the Central office of the Confederation is available full time to assist members of the Confederation regarding problems, membership drive etc.

By :-

All India Confederation of SC/ST Organisations

T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001

Tel: 011-23354841-42

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya